COLLEGE OF AGRICULTURE, FATEHPUR-SHEKHAWATI
SIKAR-332301, RAJASTHAN
(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)
कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर– 332301,राजस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
+91-9913147464, 9461930049
dean.coafatehpur@sknau.ac.in

क्रमांकः प.03 / लेखा / कृ.म. / एफटीआर / 2462 दिनांकः 3.12.2025

कैन्टीन संचालन हेतु सीमित निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी (सीकर) परिसर में छात्र–छात्राओं एवं स्टाफ के लिए कैन्टीन संचालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों / फर्मों से सीमित निविदा दिनांक 10.12.2025 को पूर्वान्ह 11.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 10.12.2025 को दोपहर 12.30 बजे समिति एवं निविदादाताओं के समक्ष निविदा लगाई जायेगी। सीमित निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण www.sknau.ac.in अथवा कार्यालय में देखा जा सकता है। इस निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी को होगा। निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 100/– होगा तथा धरोहर राशि रु. 2000/– होगी, जिसे नगद / यूपीआई / डीडी (जोकि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी के नाम देय होगा) जमा करवानी होगी। सीमित निविदा हेतु शर्तें Annexure-1 में संलग्न हैं। सभी शर्तों को ध्यान से पढ़कर हस्ताक्षर करें तथा उनकी अनुपालना करें।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. रोकड़ / सूचना पट्ट, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी।
3. क्रय–विक्रय समिति के समस्त सदस्य।
4. नगरपालिका, फतेहपुर–शेखावाटी सूचना पट्ट।
5. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को निविदा को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

अधिष्ठाता

Annexure-1

निविदा हेतु शर्तें:

1. सफल बोलीदाता को रु. 2000/– अमानत राशि मौके पर जमा करानी होगी।
2. दो महीने का किराया अग्रिम देय होगा एवं न्यूनतम निविदा रु. 200/– प्रति माह से शुरू होगी।
3. विद्युत शुल्क विश्वविद्यालय नियमानुसार रु. 15/– प्रति यूनिट देय होगा।
4. कैन्टीन का किराया अधिकतम बोली द्वारा निर्धारित होगा।
5. सभी सामान एवं फर्नीचर की व्यवस्था ठेकेदार खुद करेगा तथा टूट–फूट की जिम्मेदारी ठेकेदार स्वयं की होगी।
6. यदि ठेकेदार किसी को उधार देता है तो उसमें महाविद्यालय के प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. नॉन–एम.आर.पी. सामान को ठेकेदार पूर्व में ही दर निर्धारित करेगा तथा सामान की एम.आर.पी. से अधिक वसूली नहीं करेगा।
8. सभी सेवायें कैन्टीन में खुद ठेकेदार प्रदान करवायेगा।
9. सभी सामान की गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा।
10. तम्बाकू, इत्यादि वर्जित सामान कैन्टीन में बेचना अवैध होगा तथा ठेकेदार स्वयं या उसका कोई कर्मचारी कार्य समय में नशा करके या नशे की हालत में होने की अनुमति नहीं होगी, यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
11. कैन्टीन और उसके आस–पास की साफ–सफाई की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
12. कैन्टीन के खुलने का समय पूर्वान्ह 08.00 बजे से रात 05.00 बजे तक रहेगा।
13. ठेकेदार महाविद्यालय द्वारा देय कमरे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा।
14. ठेकेदार FSSAI से निर्धारित लाईसेंस धारक होना चाहिए।
15. ठेकेदार को अपना पैनकार्ड एवं आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
16. प्रतिबंधित डिस्पोजल कैन्टीन में अनुमत नहीं होगे।
17. ठेकेदार एवं उसके स्टाफ एवं स्वयं उसके कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थी एवं स्टाफ के साथ अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है।
18. ठेकेदार उपलब्ध वस्तु को बेचने से इंकार नहीं कर सकता है।
19. कैन्टीन कार्य का रु. 100/– के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर 12 माह का अनुबंध पत्र देना होगा, जिसका खर्चा स्वयं ठेकेदार का होगा। 12 माह बाद ठेका स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। ठेकेदार को कम से कम छः माह कैन्टीन संचालन करना होगा, यदि उससे पहले छोड़कर जाता है तो उसकी सुरक्षा राशि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
20. कैन्टीन की दरें निम्नानुसार होंगीः
    चाय 150एमएल–रु.10/–, कॉफी 125एमएल–रु.15/–, समोसा 75ग्राम–रु.10/–, कचौड़ी 60ग्राम – रु.10/–, पैटीज 110ग्राम–रु.20/–, गर्म मीठा दूध–70रु. लीटर, आलू पराठा–रु.20/–, ब्रैड पकौड़ा 60ग्राम रु.15/–, बिस्कुट, नमकीन, चिप्स, दही एवं अन्य पैक्ड आईटम एम.आर.पी. दर पर। उपरोक्त सामग्री ताजा बनी होनी चाहिए तथा फूड पॉईजनिंग की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
21. कैन्टीन के अन्य सामान निविदादाता यदि रखना चाहता है तो उसकी दरें महाविद्यालय की क्रय–विक्रय समिति द्वारा अनुमोदन करवाना जरूरी रहेगा।

नोटः यह अनुबंध आदेश प्राप्ति के 12 माह तक प्रभारी रहेगा, जिसे आवश्यकतानुसार / नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।

अधिष्ठाता

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी की निविदा क्रमांक प.03/लेखा/कृ.म./एफटीआर/2025/2462 दिनांक 03.12.2025 की समस्त नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा / करूंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

कैन्टीन निविदा हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

क. सं.	विवरण	
1.	निविदादाता का नाम	
2.	निविदादाता का पता	
3.	निविदा प्रपत्र शुल्क रसीद संख्या	
4.	निविदादाता का आधार कार्ड संख्या	
5.	निविदादाता का पैन कार्ड संख्या	
6.	निविदादाता के खाते का कैंसिल चैक संख्या	
7.	FSSAI द्वारा जारी लाईसेंस संख्या	
8.	किराया प्रति माह देय	

नोटः उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षरित फोटो प्रति इस प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

निविदादाता के हस्ताक्षर